MR. CHAIRMAN: I think he should have taken your advice earlier ...*(Interruptions)*... Anyway, you put your question.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, in law, a person is a defaulter when there is a tax demand which is not paid. So, they are not defaulters at all, technically or otherwise, and the question does not arise.

Sir, one of the main reasons for this kind of arrears is the inability of the Department to get the liability finalised and these cases remain pending at various levels including the High Courts and the Supreme Court. In my own case, in a matter relating to my election expenses, my claim was allowed by the Commissioner, but disallowed by the Tribunal. The matter went to the High Court. After twenty years, when I had completely given up practice, I had to find a lawyer who was not expensive! Sir, tax lawyers are unreasonably expensive ...*(Interruptions)*... Fortunately for me, my son, who was ten years old then, was 30 years old by this time and he went and argued and won the case for me and he did not charge any fees from me fortunately! ...*(Interruptions)*... If it had gone to the Supreme Court, I would not have won it because I do not have a grandson and it would take that long! ...*(Interruptions)*... Now, under these circumstances, one of the serious peroblems, the problem of arrears, is there because of the inability of the Department to get the liability finalised in a reasonable way. He has made very grave allegations against it saying that they are "fair" and "just" and all that! ...*(Interruptions)*... Sir, he is laughing at me. Anyway, I leave it at that ...*(Interruptions)*... Sir, if the matters have to go from the High Courts to the Supreme Court, one can take it reasonably that they will never be finalised in the person's lifetime. Therefore, may I enquire from the Minister whether or not pendency of disputes for long is one of the reasons for these arrears and, having promised National Courts, they are going to take action for starting these National Courts so that arrears and pendency of disputes do not take an exceedingly long time?

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, it is a fact that a large number of cases are pending before various Appellate Authorities. Nearly, Sir, 2,18,000 cases are pending before the Tribunals and about sixteen thousand cases are before the various High Courts and the Supreme Court and it takes a long time for them to dispose of these cases. Therefore, the Government has decided, and the honourable Finance Minister has announced in his Budget speech, that there will be a Direct Taxes Court and the people can go directly to that Court. It will take a lesser time and the cases will be settled soon. We are trying to establish them and we are in the happy process of amendment of the law and we will get them established as quickly as possible.

MR. CHAIRMAN: Question No. 183.

Grant of Financial Aid for Talcher Thermal Power Station in Orissa

*183. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Union Government is ready to offer financial aid and technological expertise to the ailing Talcher Thermal Power Station in Orissa;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is also a fact that there is a demand from the engineers of the power station for handing over the same to the NTPC; and

(d) if so, what are the details thereof and what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Government of Inida has proposed to offer financial assistance and technological guidance to the Orissa State Electricity Board for the renovation and modernisation for the Talcher TPS. Under the Phase-I of the R&M programme implemented during the Seventh Five Year Plan an amount of Rs. 29.78 crores was sanctioned by the Government of India for the R&M project of Talcher TPPS. Out of this Orissa State Electricity Board has already incurred an expenditure of Rs. 28.64 crores for completing works relating to all the activities except coal handling plant and cooling water system. Phase-II of R&M programme to

be implemented during the Eighth Five Year Plan the Government have approved the R&M proposal of Talcher TPS at an total estimated cost of Rs. 110.40 crores. The source of funding for this project has not yet been identified so far.

(c) and (d) Central Government have not received any demand from the Engineers of the Power Station for handing over the station to the NTPC. However, the State Government have reported that they have received a representation from Thermal Power Engineers Service Association in December, 1991 for handing over the Talcher TPS to NTPC, and no decision has been taken by them in this regard.

डा॰ संजय सिंह : माननीय सभापति जी, मेरे सवाल के खंड "ख" में माननीय मंत्री जी ने विस्तार में स्वीकार किया है कि उड़ीसा के उस पावर स्टेशन में समय समय पर वित्तीय सहायता के रूप में करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। तकनीकी सहायता भी दी है। इसके बावजूद वह यूनिट सिक है। कहीं-कहीं माननीय मंत्री जी ने अपने बयानों में भी स्वीकार किया है कि वहां पर उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने एन॰टी॰पी॰सी॰ से सुपर थर्मल पावर स्टेशन खोलने की प्रार्थना की है।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यद्यपि उस पावर स्टेशन के इंजीनियरों ने सीधे केंद्र से उसे अधिगृहित करने की मांग नहीं की है, लेकिन फिर भी जनहित में क्या मंत्री जी उसे एन॰टी॰पी॰सी॰ से अधिगृहित करने की कार्यवाही करायेंगे?

श्री कल्पनाथ राय : सभापति जी, केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह फैसला किया कि कैपेसिटी एडीशन की जगह पर अब कैपेसिटी यूटिलाईजशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और रेनोवेशन, माडर्नाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत पुराने पावर स्टेशन को रेनोवेट करना चाहिए। उसी योजना के अन्तर्गत 460 मेगावाट के थर्मल स्टेशन, तालचेर के प्रथम स्टेज के लिए योजना आयोग ने और सी॰ई॰ए॰ ने मिल कर 29 करोड़ रुपया प्रदान किया जिसमें से 28 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ और उसका प्लांट लोड फैक्टर 7 प्रतिशत बढ़ गया।

दूसरी स्टेज जो प्लांट रेनोवेशन, माडर्नाइजेशन की है, उसके लिए उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है। सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी और योजना आयोग ने उसके लिए 110 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

दूसरा सवाल आपने यह पूछा कि क्या एन॰टी॰पी॰सी॰ उसको लेगी?

मेरा कहना यह है कि हिन्दुस्तान में 25 प्रतिशत सेंट्रल सैक्टर में पावर जेनेरेशन होता है, 75 प्रतिशत स्टेट सैक्टर के माध्यम से होता है। यह तालचेर स्टेशन स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड उड़ीसा का है। उस सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कोई सिफारिश नहीं भेजी है कि इसको एन॰टी॰पी॰सी॰ के अंदर ले लिया जाए।

डा॰ संजय सिंह : माननीय सभापति जी, यही तो मैंने निवेदन किया था कि यह तमाम आपने सहायता उनको दी। इसके बावजूद भी वहां पर इंजीनियर्स को तथा उड़ीसा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के सारे कर्मचारियों को इसका संतोष नहीं है कि वह स्टेट द्वारा संचालित कर सके।

इसी की वजह से उन्होंने आग्रह किया है कि एन॰टी॰पी॰सी॰ उसे चलाये। यही मैंने सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से किया कि यद्यपि उन इंजीनियर्स ने सीधे मांग नहीं की है, लेकिन फिर भी जनहित में क्योंकि वहां के लोगों की मांग है, क्या इसे एन॰टी॰पी॰सी॰ से अधिगृहीत करायेंगे?

श्री कल्पनाथ राय : मान्यवर, इलैक्ट्रिसिटी और पावर कन्करेंट सबजैक्ट है। यह प्रदेश सराकर का मामला है। जब तक प्रदेश की सरकार कोई सिफारिश केन्द्र सरकार को नहीं भेजेगी, तब तक हम उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। यह बात सही है कि वहां के इंजीनियर्स एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव दिया है तालचेर स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोगों को कि हमारा अधिग्रहण एन॰टी॰पी॰सी॰ कर ले, लेकिन प्रदेश की सरकार ने कोई सिफारिश केंद्र को नहीं भेजी है और जब तक प्रदेश सरकार केंद्र को सिफारिश नहीं भेजेगी, तब तक हमें उसे अधिग्रहण करने का कोई अधिकार ही नहीं है।

SHRI BASANT KUMAR DAS: Mr. Chairman, Sir, I would like to know whether it is a fact that the condition of the plant and machinery of the Talcher power plant is deteriorating day by day due to the faulty quality of coal being supplied to the plant, and also, whether the Government is aware of the fact that the environmental condition of that particular area is hazardous due to the substandard coal being supplied to the plant. Sir, if the Government is aware of that, I want to know whether any steps are being taken to protect that.

MR. CHAIRMAN: Is it all due to the substandard coal that is being supplied?

SHRI KALP NATH RAI: Sir, Talcher is one of the best coal-fields of India, and the coal which is supplied to Talcher is the similar type of coal that is supplied to all the power stations of the country. And you will be happy to know, Sir, that

in the Central sector, the National Thermal Power Corporation is also getting the same coal. But, today, the National Thermal Power Corporation's plant load factor is 71 per cent, the highest in India. No private sector or public sector has achieved the plant load factor of the National Thermal Power Corporation. But, Sir, if the State Electricity Boards are not in a position to manage their stations properly, if they cannot renovate, if they cannot modernise, and if they cannot manage them properly, how can I take the responsibility?

SHRI SARADA MOHANTY: Sir, I want to know from the Government that if the Government of Orissa agree to place this thermal power station at the disposal of NTPC, will the Government agree for it? Will the NTPC take it over?

SHRI KALP NATH RAI: If the Orissa Government wants, we shall consider this question. But until and unless they recommend this plant to be transferred to NTPC, how can we consider?

MR. CHAIRMAN: Next question.

निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की माफी

*184. **श्री रणजीत सिंह** :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण तथा अर्घ ग्रामीण क्षेत्रों में आम कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वहां कार्यरत सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र के बैंकों की प्रत्येक शाखा को 15 से 25 गांवों का क्षेत्र के आवंटित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आम आदमी को बैंक संबंधी सुविधाएं देने का दायित्व इन्हीं बैंकों की शाखाओं का ही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष 10,000/- रुपये तक के ऋण माफ करने के निर्देश जारी किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को इस प्रकार के निर्देश न जारी किये जाने के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार निजी क्षेत्र के बैंकों को यह निर्देश कब जारी करने का विचार रखती है?

---

*सभा में यह प्रश्न श्री रणजीत सिंह द्वारा पूछा गया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सम्भवतः माननीय सदस्यों का आशय पहली अप्रैल, 1989 से लागू ग्रामीण ऋण प्रदान करने की सेवा क्षेत्र योजना से है। इस योजना के तहत, ऋण के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध संवितरण की दृष्टि से, किसी बैंक की ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंक शाखा को 15 से 25 गावों के समूह का आबंटन किया जाता है। गावों के ऐसे आबंटन सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंक शाखाओं को किये जाते हैं।

किसी देय राशि को बट्टे खाते डालना या देयराशियों की वापसी अदायगी के समझौते सम्बन्धी मामले जिनमें बैंकों द्वारा किसी राशि का त्याग अन्तर्ग्रस्त है, बैंकों के अपने निर्णय के अनुसार बैंक और उधार-कर्ता द्वारा परस्पर आधार पर निपटाए जाते हैं तथा सरकार बैंकों को इसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं देती। बहरहाल, भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, दिनांक 2.10.1989 की स्थिति के अनुसार, दिए गए अल्पावधि और सावधि ऋणों की सभी अतिदेय राशियों को कवर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणकर्ताओं की विशिष्ट श्रेणी क्रमशः कृषकों, बुनकरों और कामगारों के लिए कुछ प्रकार की देयराशियों के लिए 10,000/- रुपये तक प्रति ऋणकर्ता को ऋण राहत प्रदान की गई थी। केन्द्रीय योजना की रूपरेखा के आधार पर राज्य सरकारों ने भी सहकारी समितियों के लिए अपनी-अपनी योजनायें तैयार की थीं। सरकार ने निर्णय लिया था कि केन्द्र, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजना की लागत को पूर्णरूप से वहन करेगी और सहकारी समितियों के लिए राज्य सरकारों की योजना की लागत के 50% भाग की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी सहमत हो गयी। यह योजना 31 मार्च, 1991 को बन्द हो चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत ऋणकर्ताओं या संस्थाओं की किसी अन्य श्रेणियों को शामिल करने के लिए इस योजना की पुनरीक्षा करने या इसमें कोई संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री रणजीत सिंह : चेयरमैन सर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इस स्कीम के अन्दर सारे भारतवर्ष में कुछ प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स और रूरल रिजनल बैंक्स जो थे उनके तहत गांव अलाट किए गए थे। जब अप्रैल, 1990 में एक स्कीम आई कि 10,000 रुपये तक लोन वेव कर दिए जाएं तो जितने गवर्नमेंट बैंक्स, रूरल रिजनल बैंक्स थे, कोआपरेटिव बैंक्स थे उनके नीचे जो गांव आए उनको तो कर दिए गए थे, कुछ प्राइवेट सैक्टर के जो